

दिल्ली विकास प्राधिकरण
द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर-17

द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर-17 में निम्नलिखित कार्यों के लिए अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से ई-टेंडरिंग मोड के माध्यम से ऑनलाइन निविदाएं पुनः आमंत्रित की जाती हैं।

पुनः आमंत्रित एनआईटी संख्या: -	01/डीएससी-17/डीडीए/2024-25
कार्य का नाम: -	मासिक लाइसेंस शुल्क के आधार पर द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-17, डीडीए में प्रो-शॉप (खेल उपकरण) चलाना।
आरक्षित मूल्य:-	रु. 87,000 (प्रति माह)
बयाना राशि:-	रु. 20,880
अनुमत समय:-	12 महीने.
ऑनलाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि: -	09-09-2024 अपराह्न 3.00 बजे तक
ऑनलाइन बोली खोलने की तिथि:-	10-09-2024 अपराह्न 3.30 बजे

टिप्पणी:-

निविदा शुल्क

1. बोलीदाताओं को रुपये का गैर-वापसीयोग्य शुल्क जमा करना होगा। 500/- प्लस जीएसटी @18% प्रति टेंडर आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से "सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए" के खाते में, जिसका खाता नंबर 1611994900 है, "कोटक महिंद्रा बैंक, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली, (आईएफएससी। केकेबीके0000184)" और भुगतान विवरण के साथ यूटीआर नंबर ऑनलाइन अपलोड करें। गौरतलब है कि यह खाता ईएमडी जमा खाते से अलग है।
2. यदि किसी भी कारण से निविदा पुनः आमंत्रित की जाती है, तो जिस बोलीदाता ने पहले ही निविदा शुल्क का भुगतान कर दिया है, उसे दोबारा निविदा शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. यदि कोई बोलीदाता अपनी बोली वापस ले लेता है या किसी ऐसे तरीके से कार्य करता है जिससे निविदा रद्द हो जाती है या निविदा पुनः आमंत्रित की जाती है और यदि सक्षम प्राधिकारी ऐसे बोलीदाता को भविष्य की निविदा में भाग लेने की अनुमति देता है, तब भी निविदा शुल्क का कोई समायोजन नहीं किया जाएगा। ऊपर बिंदु 2 में कहा गया है।
4. यदि कोई ठेकेदार बोली जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक भुगतान करने में विफल रहता है, तो संबंधित ठेकेदार निविदा के लिए पात्र नहीं होगा।
5. निविदाकर्ताओं को निविदा खुलने तक किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल उच्चतम बोली लगाने वाले से संबंधित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी की आवश्यकता होगी।

नियम और शर्तों, विशेष कार्य के पात्रता मानदंड, आरटीजीएस मोड के माध्यम से बयाना राशि जमा करने का तरीका और अन्य जानकारी/निर्देशों के लिए कृपया डीडीए की वेबसाइट

<https://eprocure.gov.in/eprocure/app> या [www](http://www.dda.org.in) पर जाएं। dda.org.in. ई-टेंडरिंग पर किसी भी सहायता के लिए कृपया खेल परिसरों के संबंधित सचिवों या मैसर्स एन.आई.सी. से संपर्क करें। ईमेल cphp-nic@nic.in या 0120-4200462, 0120-4001002, 0120-4001005 और 0120-6277787 पर या एक मेल भेजें - support-eproc@nic.in।

दिल्ली विकास प्राधिकरण
द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर-17

द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-17, डीडीए में निम्नलिखित कार्यों के लिए अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से ई-टेंडरिंग मोड के माध्यम से ऑनलाइन निविदाएं फिर से आमंत्रित की जाती हैं: द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर-17 में प्रो-शॉप (स्पोर्ट्स उपकरण) का संचालन, 12 महीने की अवधि के लिए मासिक लाइसेंस शुल्क के आधार पर डीडीए। निविदा दो भागों में होगी अर्थात् 'भाग-I' जिसमें तकनीकी बोली होगी और 'भाग-II' जिसमें 'वित्तीय बोली' होगी। केवल वे एजेंसियां जिनके पास सरकारी निकायों/पीएसयू/स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स/स्वयं के प्रतिष्ठान में स्पोर्ट्स शॉप चलाने के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव है और न्यूनतम औसत टर्नओवर रु. केवल पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए खेल की दुकान चलाने से प्राप्त 25.00 लाख रुपये की निविदा जमा करने के पात्र हैं। निर्धारित तरीके से प्रस्तुत नहीं की गई बोली का हिसाब नहीं दिया जाएगा। प्रो शॉप का कुल कवर्ड एरिया 43.32 वर्ग मीटर है। द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-17, डीडीए, नई दिल्ली 110075।

निविदा के भाग - I यानी तकनीकी बोली में, निविदाकर्ता को एजेंसी के स्वामित्व/प्रबंधन का विवरण, उनके द्वारा किए गए कार्यों की समान प्रकृति का अनुभव यानी पुरस्कार पत्रों की प्रतियां और संतोषजनक समापन के प्रमाण पत्र, विधिवत सत्यापित, प्रमाणित प्रमाण अपलोड करना होगा। वार्षिक टर्नओवर, उनके पास उपलब्ध जनशक्ति, उनकी योग्यता और क्षेत्र में अनुभव आदि दिखाना होगा। कंपनी/फर्म के मामले में, पंजीकरण प्रमाण पत्र और एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन की एक सत्यापित प्रति भी प्रस्तुत की जानी है। साझेदारी फर्म के मामले में, साझेदारी विलेख, पंजीकरण प्रस्तुत किया जाएगा और स्वामित्व फर्म के मामले में सभी मालिकों का विवरण और स्वामित्व चिंता में प्रतिशत स्वामित्व प्रस्तुत किया जाएगा।

निविदा के भाग- II में निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित मासिक लाइसेंस शुल्क (प्रति माह) का संकेत देने वाली वित्तीय बोली शामिल होनी चाहिए। प्रस्ताव शब्दों और अंकों दोनों में दिया जाना चाहिए।

क्र.सं.	एनआईटी नं. कार्य का नाम	आरक्षित मूल्य बयाना राशि	अनुबंध की अवधि	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय तकनीकी बोलियाँ खोलने की तिथि एवं समय
1.	पुनः आमंत्रित एनआईटी संख्या 01/डीएससी-17/डीडीए/2024-25 कार्य का नाम:- द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर-17, डीडीए में मासिक लाइसेंस शुल्क के आधार पर प्रो शॉप (खेल उपकरण) चलाना।	रु. 87,000/- (प्रति महीने) रु. 20,880/-	12 महीने	09-09-2024 अपराह्न 3.00 बजे तक 10-09-2024 दोपहर 3.30 बजे

निविदा दस्तावेज ई-टेंडरिंग पोर्टल यानी वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/appor> www.dda.org.in से _____ (बिक्री की अंतिम तिथि) तक प्राप्त/डाउनलोड किए जा सकते हैं। बयाना राशि रु. 20,880/- और "सीएयू स्पोर्ट्स, डीडीए (ईएमडी खाता)" के खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा किया जाएगा, जिसका खाता संख्या 1614159849 "कोटक महिंद्रा बैंक, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली- 110049, (आईएफएससी: केकेबीके0000184) है। आरटीजीएस/एनईएफटी का अद्वितीय लेनदेन संदर्भ निविदाकर्ता को निर्धारित तिथि तक ई-टेंडरिंग प्रणाली में अपलोड करना होगा। डीडीओ संस्था अद्वितीय लेनदेन संदर्भ संख्या के आधार पर सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए से बयाना राशि का सत्यापन कराएगी। निविदाएं खुलने से पहले प्रत्येक आरटीजीएस/एनईएफटी भुगतान के विरुद्ध।

निविदा शुल्क

1. बोलीदाताओं को रुपये का गैर-वापसीयोग्य शुल्क जमा करना होगा। 500/- प्लस जीएसटी @18% प्रति टेंडर आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से "सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए" के खाते में, जिसका खाता नंबर 1611994900 है, "कोटक महिंद्रा बैंक, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली, (आईएफएससी। केकेबीके0000184)।" और भुगतान विवरण के साथ यूटीआर नंबर ऑनलाइन अपलोड करें। गौरतलब है कि यह खाता ईएमडी जमा खाते से अलग है।
2. यदि किसी भी कारण से निविदा पुनः आमंत्रित की जाती है, तो जिस बोलीदाता ने पहले ही निविदा शुल्क का भुगतान कर दिया है, उसे दोबारा निविदा शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. यदि कोई बोलीदाता अपनी बोली वापस ले लेता है या किसी ऐसे तरीके से कार्य करता है जिससे निविदा रद्द हो जाती है या निविदा पुनः आमंत्रित की जाती है और यदि सक्षम प्राधिकारी ऐसे बोलीदाता को भविष्य की निविदा में भाग लेने की अनुमति देता है, तब भी निविदा शुल्क का कोई समायोजन नहीं किया जाएगा। ऊपर बिंदु 2 में कहा गया है।
4. यदि कोई ठेकेदार बोली जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक भुगतान करने में विफल रहता है, तो संबंधित ठेकेदार निविदा के लिए पात्र नहीं होगा।

निविदाएं खुलने तक निविदाकारों को किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल उच्चतम बोली लगाने वाले से संबंधित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी की आवश्यकता होगी

निविदा दो भागों अर्थात तकनीकी बोली और मूल्य बोली में ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी।

तकनीकी बोली (पहला कवर)

निविदाकारों को तकनीकी बोली में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: -

- i. निविदा स्वीकृति पत्र की स्कैन की गई प्रति (कंपनी के लेटर हेड पर दी जाए)।
- ii. निविदा आवेदन पत्र की स्कैन की गई प्रति
- iii. बयाना राशि की स्कैन की गई कॉपी आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से "सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए (ईएमडी खाता)" के खाते में जमा की जाएगी, जिसका खाता नंबर 1614159849 "कोटक महिंद्रा बैंक, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली -110049, (आईएफएससी। केकेबीके0000184) है। कृपया ध्यान दें कि यह खाता निविदा शुल्क भुगतान खाते से भिन्न है।
- iv. पैन नंबर की स्कैन की गई कॉपी .
- v. जीएसटी पंजीकरण की स्कैन की गई प्रति

- vi. निविदा शुल्क की स्कैन की गई प्रति आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से "सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए" के खाते में जमा की जाएगी, जिसका खाता नंबर 1611994900 है, "कोटक महिंद्रा बैंक, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली, (आईएफएससी. केकेबीके0000184), (आईएफएससी. केकेबीके0000184)। कृपया ध्यान दें कि यह खाता ईएमडी बैंक खाते से अलग है।
- vii. यूडीआईएन- (विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान) के साथ टर्नओवर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति नंबर) चार्टर्ड अकाउंटेंट/सीए फर्म द्वारा
- viii. एनआईटी शर्त के अनुसार संतोषजनक पूर्णता प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- ix. यदि पहले से पंजीकृत है तो ईपीएफओ और ईएसआईसी के साथ पंजीकरण के प्रमाण की स्कैन की गई प्रति।
- x. गैर-न्यायिक रु. 100/- के स्टॉप पेपर पर एक अंडरटेकिंग की स्कैन की गई प्रति, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-
- अनिवार्य ईएसआई/ईपीएफ अंशदान का भुगतान न करने पर ईएसआई/ईपीएफ विभागों द्वारा लगाए गए किसी भी जुर्माने के लिए एजेंसी पूरी तरह उत्तरदायी होगी और इस आशय का स्टॉप पेपर पर एक वचन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
 - यदि एजेंसी का दावा है कि वह ईएसआईसी और ईपीएफ अधिनियमों के तहत खुद को पंजीकृत कराने के लिए बाध्य नहीं है (और ईपीएफओ और ईएसआईसी के साथ पंजीकरण का प्रमाण जमा नहीं करती है) तो यह स्टॉप पेपर पर किया जा सकता है।
 - किसी भी कानून/कानून के तहत कवर किए गए बोनस सहित सभी वैधानिक भुगतान, बोली लगाने वाले की एकमात्र जिम्मेदारी होगी और डीडीए को किसी भी वित्तीय दायित्व से लाइसेंसधारी द्वारा संरक्षित किया जाएगा जो किसी भी सरकारी कानून, नीति, दिशानिर्देशों, कानून के गैर-अनुपालन के कारण उत्पन्न हो सकता है। वगैरह।
 - स्टॉप पेपर पर शपथ पत्र की स्कैन की गई कॉपी कि एजेंसी किसी भी सरकार द्वारा ब्लैकलिस्टेड या प्रतिबंधित नहीं है। बोली प्रस्तुत करने के समय /पीएसयू या निजी संगठन एजेंसी/फर्म/व्यक्ति/निविदाकर्ता।

तकनीकी बोली के साथ आवश्यक जानकारी और/या दस्तावेजों और/या बयाना राशि के संबंध में किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

वित्तीय बोली (दूसरा कवर)

1. BoQ_XXXXX.xls के रूप में वित्तीय बोली की अनुसूची

नोट (1):- बोलीदाता केवल एक कार्य के लिए एक यूटीआर का उपयोग करेगा। यदि यह पाया जाता है कि उसने विभिन्न निविदाओं के लिए एक यूटीआर नंबर का उपयोग किया है, तो उसके द्वारा प्रस्तुत सभी निविदाएं खारिज कर दी जाएंगी और उसे भविष्य में डीडीए में आगे की निविदा देने से रोक दिया जाएगा।

नोट (2):- निविदा खुलने तक निविदाकारों को किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल सफल निविदाकर्ता से संबंधित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी की आवश्यकता होगी।

नोट (3):- नियम और शर्तों, विशेष कार्य के पात्रता मानदंड, आरटीजीएस मोड के माध्यम से बयाना राशि जमा करने का तरीका और अन्य जानकारी/निर्देशों के लिए कृपया डीडीए की वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/> पर जाएं। [eprocure/app](https://eprocure.gov.in/) या www.dda.org.in ई-टेंडरिंग

पर किसी भी सहायता के लिए कृपया खेल परिसरों के संबंधित सचिवों या मैसर्स एन.आई.सी. से संपर्क करें। ईमेल ***cphp-nic@nic.in*** या 0120-4200462, 0120-4001002, 0120-4001005 और 0120-6277787 पर या एक मेल भेजें - ***support-eproc@nic.in***।

**Resident Engineer (Civil)
DSC-17/DDA**

DETAILS BELOW THIS LINE NOT TO BE PUBLISHED

F1(09)/DSC-17/DDA/2022-23/Admin

Copy to:-

1. Commissioner (Sports), DDA
2. Director (Systems), DDA - through e-mail for uploading on DDA Website.
3. Secy. (Coordn), Sports Wing, DDA
4. Secy. DDA Contractor's Welfare Association Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi.
5. Secy. DDA Builders's Association, E-18, Vikas Kutir, New Delhi.
6. The General Secretary, Delhi Contractor's Welfare Association (Regd.), 306, Masjid Moth, N.D.S.E., Part-II, New Delhi-110049.
7. All Secretaries of DDA Sports Complexes for displaying on their Notice Boards.
8. AAO, DSC-17
9. Notice Board/DSC-17

**Resident Engineer (Civil)
DSC-17/DDA**